/

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–1) विभाग

क्रमांकः प.25(9)प्रसु/सम/अनु–1/2019 जयपुर, दिनांकः 29.02.2024

समस्त सम्भागीय आयुक्त/जिला कलक्टर्स

"<u>परिपत्र</u>"

विषयः– राज–काज ई–फाईल प्रणाली के पूर्ण कियान्वयन के संबंध में।

राज्य में सुशासन की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा लिये गये महत्त्वपूर्ण निर्णयों को त्वरित गति से लागू करने एवं विभागीय फाईलों के समयबद्ध निस्तारण हेतु सभी विभागों एवं आयुक्तालयों/निदेशालयों में दिनांक 01.01.2023 से राज–काज पोर्टल पर ई–फाईल मॉड्यूल लागू किया गया है। जिसके कम में समय–समय पर विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 10.10.2022, 27.12.2022, 25.01.2023, 09.02.2023, 16.02.2023, 27.03.2023 एवं 01.06.2023 **<u>(सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न)</u>** द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये है। राज–काज/ई–फाईल प्रणाली को संभाग, जिला, उपखण्ड, तहसील, ग्राम स्तर तक पूर्ण रूप से लागू किए जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैः–

1. सभी सम्भागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर्स स्वयं के कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में दिनांक 01.03.2024 से ई–फाईल प्रणाली का पूर्ण रूप से कियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करेंगें।

2. सभी नवीन पत्रावलियां इलेक्ट्रोनिक मोड में खोली जायेंगी। यदि भौतिक पत्रावली खोली जानी आवश्यक हो तो उच्च स्तर की पूर्व सहमति के बिना नहीं खोली जायेगी।

3. जांच संबंधी मामलों की पत्रावलियां, न्यायालय/वादकरण संबंधी पत्रावलियां, एवं गोपनीय प्रकरण भी यथा सम्भव ई–फाईल प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत किये जाये।

4. पुरानी पत्रावलियां ई–फाईल (RajKaj Application) पर प्राथमिकता से लायी जायेंगी।

5. भौतिक पत्रावलियों को ई–फाईल में कन्वर्ट करते हुए भौतिक पत्रावलियों में मौजूद नोटशीट व दस्तावेजों को स्कैन कराये जाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रकिया (SoP) को अपनाया जावें। <u>(सुलभ **संदर्भ** हेतु **प्रति** संलग्न)</u>

6. कार्यालयों में संधारित भौतिक पत्रावलियों को नियमानुसार रिकॉर्ड/संधारण/नाशन की प्रकिया अपनाई जावें।

7. कार्यालयों में अवस्थित समस्त अवांछित/अनुपयोगी मद का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर कार्यालयों को स्वच्छ स्वरूप प्रदान किये जाने की कार्यवाही की जावें।

8. इस संबंध में उपयोगकर्ता हेतु प्रशिक्षण सामग्री राजकाज पोर्टल पर उपलब्ध है।

9. विशेष आवश्यकता होने पर DOIT&C विभाग के जिले में पदस्थापित अधिकारियों द्वारा राजकाज एप के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है।

अतः समस्त सम्भागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया जाता है कि अपने विभागों/अधीनस्थ समस्त कार्यालयों में ई–फाईल प्रणाली को लागू किये जाने हेतु उक्तानुसार निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

Sudhansh Pant

(सुधांश पंत)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अति0 मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
2. संयुक्त सचिव, मा0 मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमूख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
4. रक्षित पत्रावली।

29/02/24
शासन सचिव

राजस्थान सरकार

<u>आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर</u>

एफ.1(   )प्रशा./आकाशि/ई फाईल–डाक/2024/   दिनांक :

पृष्ठांकित प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
4. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय/कन्या/विधि महाविद्यालय (राजस्थान)/राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर/राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर।
5. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

(प्रो. अनिल कुमार यादव)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

RajKaj Ref
6117747

Signature valid

Digitally signed by Anil Kumar Yadav
Designation : Professor
Date: 2024.03.14 11:31:57 IST
Reason: Approved